लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद [कपार्ट]

CAPART

नागरिक / ग्राहक घोषणापत्र

कपार्ट

(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

जोन–5 ए द्वितीय तल भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003

वेबसाइट : http://capart.nic.in

अप्रैल, 2011

कपार्ट का नागरिक/ग्राहक घोषणा पत्र

संकल्प–विषय

कपार्ट का संकल्प विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ गतिशील और प्रेरक भूमिका निभाना, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना तथा ग्रामीण भारत के बहु–आयामी विकास में अपना योगदान देना है।

कपार्ट के कार्य और उद्देश्य

कपार्ट के कार्य और उद्देश्य ग्रामीण गैर सरकारी संगठनों के निकट सम्पर्क में रह कर कार्य करना और उन्हें शक्तिशाली बनाना है, अर्थात :

1. दो सोसाइटीज (सार्वजनिक) संघों अर्थात पीपल्स एक्शन फॉर डेवल्पमेंट (इंडिया) [पंजीकरण सं. 4433], तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (पंजीकरण सं. 12945) के कार्यो, कार्यक्रमों और सम्पदाओं का अधिग्रहण करना तथा उपर्युक्त दोनों सोसाइटीज़ (सार्वजनिक संघों) के सभी या किसी एक प्रकार के माल असबाब, निधियों, अधिकार, विशेषाधिकार एवं अनुबंध जो इस सोसाइटी (परिषद) की पंजीकरण की तारीख को विद्यमान थे, इस सोसाइटी में समाहित और विलीन समझे जाएंगे;
2. ग्रामीण खुशहाली लाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक सक्रियता को प्रोत्साहित करना, उन्नत करना और उसमें मदद करना,
3. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक प्रयासों में वृद्धि को बढ़ावा देना, जिसमें इस बावत नए प्रौद्योगिकीय शिल्प साधनों को लगाने पर ध्यान देना;
4. ग्रामीण विकास के व्यापक संदर्भ में, उसके अनुरूप शिल्पों (प्रौद्योगिकी) की उत्पति एवं प्रसारण के सभी प्रयासों के समन्वय के लिये राष्ट्रस्तरीय नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करना,
5. विभिन्न एजेंसियों और संस्थाओं, विशेषतया स्वैच्छिक संगठनों के शोध एवं विकास प्रयासों और पायलट (पथदर्शी) परियोजनाओं की पहचान कर उनके लिये धन की व्यवस्था द्वारा ग्रामीण इलाकों के अनुरूप प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभाना।
6. सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों और जनसाधारण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु एक प्रणाली (नाली) के रूप में कार्य

करना ताकि उन्हें ग्रामीण विकास में आधुनिक तकनीकों और अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

7. सूचना और डाटा अधिकोषण के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. मशीनी औजारों, उपकरणों एवं हिस्से–पुर्जों के निर्माताओं के बीच ग्रामीण प्रौद्योगिकी का प्रसारण करना, ताकि प्राइवेट, सहकारी और सार्वजनिक सेक्टरों में तकनीकी रूप से उन्नत मशीनरी को बड़े पैमाने पर सुलभ किया जा सके।
9. सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और विशेषतया सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्न तथा विशेषतया शारीरिक बनावट, अस्थि मज्जा और दृष्टि से अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिये सर्वांगीण विकास, रोजगार अवसरों के सृजन, स्वावलम्बन की वृद्धि, जागरूकता, एकजुटता व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति लक्षित परियोजनाओं/स्कीमों को मदद देना, मार्गदर्शन करना, संगठित करना, सूत्रपात करना, विकसित करना, रखरखाव करना और उनमें समन्वय को बढ़ावा देना (ऐसा कपार्ट की संस्था अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद–3 (ix) का साधारण सभा की 07.07.1995 की बैठक द्वारा यथा अनुमोदन संशोधन करके किया गया, जो शरीर, अस्थि व दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों अनुसूचित जातियों/जन जातियों और मुक्त हुए बंधुवा मजदूरों के साथ प्राथमिक व्यवहार के बारे में लेकर है) ।
10. ऐसे कार्यक्रमों को मदद और बढ़ावा देना जिनका लक्ष्य पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का हो।
11. वर्तमान शोध संस्थाओं को मजबूत करना तथा अभिनव संस्थाओं की स्थापना करना, ताकि विशुद्ध या व्यापक ग्रामीण हित के प्रसंग में राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं का सृजन किया जा सके।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था में समान उदेश्य में रूचि रखने वाली संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित देश–विदेश में कार्यरत संस्थाओं, संघों व सोसाइटियों के साथ सहयोग करना।
13. महिलाओं के लिये विशेष हितकारी ग्रामीण विकास गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों व संगोष्ठियों का आयोजन करना, या उन्हें समर्थन देना, जिनमें ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के अनुरूप उन्नत शिल्पों (तकनालॉजी) पर जोर हो;

14. प्रशिक्षकों विशेषतया स्वैच्छिक सेक्टर के प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, या उन्हें मदद देना, ताकि ग्रामीण इलाकों में विकास के भागीदारों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसारण किया जा सके;
15. ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं व बैठकों का आयोजन करना या आयोजन में मदद करना।
16. सोसाइटी (कपार्ट) के उद्देश्यों की भरपायी हेतु संगत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर शोध अध्ययन करना, सर्वे करना, मूल्यांकन करना एवं अन्य कार्य करना तथा अध्येतावृत्ति, वजीफे, पुरस्कार देना।
17. सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार के लिये पत्र–पत्रिकाओं विनिबंधों (मोनोग्राफ) तथा पुस्तक–पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना।
18. सोसाइटी द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, अनुषंगी या अनुकूल समझे गये अन्य सभी प्रकार के कार्य करना।
19. विश्व व्यापार संगठन (डब्लू टी ओ) के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीराइटस) से जुड़े मामलों पर ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें गैर–सरकारी संगठनों के मार्फत मार्गदर्क्षी (एस्कोर्ट) सेवाएं उपलब्ध करना, साथ ही उनके जानकारी आधार, चिर–प्रतिष्ठित वंशानुगत और (एकस्व) अधिकारों और उनसे जुड़े सभी मामलों को संरक्षण देकर उनकी सहायता करना।

i) सेवा मानक

कार्यालय	**क्रमांक**	**मुख्य सेवाएं**		**सेवा मानक एवं अवधि**
मुख्यालय और 9 दायित्व (क्षेत्रीय) केन्द्र	1	अनुदान आवेदनों की ओनलाइन (तत्काल) प्राप्ति		जैसे ही स्वैच्छिक संगठन अपेक्षित जानकारी एवं कागजात लिखित में अंकित करे–वैसे ही **एनजीओ–पीएस पोर्टल के मार्फत पावती, ओवदन आईडी प्राप्त हो जाए**
	2	डेस्क मूल्यांकन		
			आरंभिक जांच–परख	पठनीय प्रति प्राप्ति की तारीख से 5 दिन
			स्पष्टीकरण मांगना व उत्तर प्राप्त करना	45–60 दिन
	3	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन हेतु संस्थायी (पीएफए) मानीटरों की तैनाती		स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से 10 दिन
	4	पीएफए रिपोर्ट की प्राप्ति		संस्थायी मानीटरों की तैनाती के बाद 45–60 दिन
	5	प्रस्ताव पर निर्णय	प्रस्ताव की अस्वीकृति	संस्थायी मानीटरों द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश नहीं किये जाने पर, पीएफए रिपोर्ट मिलने के बाद 10 दिन के अन्दर
			प्रस्ताव संबंधित एनएससी/आर सी के	संस्थायी मानीटरों द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश किये जाने पर

			सामने पेश करना	पीएफए रिपोर्ट मिलने के बाद 60 दिन के अन्दर
	6	आवेदनपत्र पर एनएससी/आरसी के निर्णय (शर्तों व निबंधनों सहित जहां लागू हो) की सूचना देना		एनएससी/आरसी की बैठक की तारीख से 21 दिन
	7	शर्तों एवं निबंधनों पर स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण (यदि हो) मांगना		शर्तों व निबंधनों की पठनीय प्रति मिलने की तारीख से 10 दिन के अन्दर
	8	पहली किश्त स्वैच्छिक संगठन को जारी करना		शर्तों व निबंधनों की स्वीकृति की तारीख से 15 दिन
	9	मध्यावधि/उत्तरवर्ती मूल्यांकन हेतु मानीटरों की तैनाती		स्वैच्छिक संगठन से प्रगति रिपोर्ट व उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति से 10 दिन के अन्दर, किन्तु राशि जारी होने से 6 माह बाद नहीं
	10	बाद की अंतिम किश्तें जारी करना		मानीटर से रिपोर्ट (रिपोर्ट अनुकूल) मिलने से 15 दिन के अन्दर, **अंतिम किश्त (किन्तु समापक किश्त नहीं) कुल अनुदान की 10% राशि रोक कर जारी की जाएगी।** **कुल अनुदान की सुरक्षित रखी गई/रोकी गई 10% राशि संगठन को** संतोषजनक पूर्णता/समापक प्रगति

			रिपोर्ट/लेखापरीक्षित रसीद व भुगतान लेखाओं के आय–व्यय विवरण व उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद अदा की जाएगी
	11	फाइल बंद करना	स्वैच्छिक संगठन से समापक प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति या मानीटर से अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति, जो भी बाद की हो, की तारीख से 15 दिन
	1 *	दिनों से आशय कार्य दिवसों से है।	

ii) शिकायत निवारण प्रक्रिया

शिकायत मिलने पर जानकारी हासिल करना

वर्गीकरण के मानदंड	
मानदंड	शिकायत कोटियां
1. परियोजना से संबंधित	• परियोजना मंजूरी में विलम्ब • पहली किश्त जारी करने में विलम्ब • परवर्ती किश्तें जारी करने में विलम्ब • मानीटरों की तैनाती में विलम्ब • फाइल बंद करने में विलम्ब • बी.एल.ए/ फंडिग रेस्ट्रिक्शन केटेगरी के खिलाफ शिकायत

शिकायत निवारण हेतु नियत अवधि	
शिकायतों की कोटियां	थ्नवारण की अवधि
° परियोजना मंजूरी में विलम्ब	° एक माह
° पहली किश्त जारी करने में विलम्ब	° एक सप्ताह
° परवर्ती किश्तें जारी करने में विलम्ब	° एक सप्ताह
° मानीटरों की तैनाती में विलम्ब	° 15 दिन
° फाइल बंद करने में विलम्ब	° एक माह
° बी एल ए/फंडिग रेस्ट्रिक्शन केटेगरी के विरूद्ध शिकायतें	° एक माह

शिकायतों का स्वरूप	विभागाध्यक्ष स्तर पर निवारण की अवधि	उपमहानिदेशक स्तर पर निवारण की अवधि	महानिदेशक के स्तर पर निवारण की अवधि
धनराशि जारी किये	10 दिन के अन्दर	15 दिन के अन्दर	20 दिन के अन्दर

जाने बावत			

iii) हितबद्ध पक्षों की सूची

1. स्वैच्छिक संगठन
2. लाभार्थीगण
3. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां
4. पंचायतें
5. राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन

iv) दायित्व केन्द्रों की सूची

क्रमांक	दायित्व केन्द्रो का नाम	सम्पर्क पता
1.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास	निदेशक, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, कपार्ट मुख्यालय फोन : 011–24642395 / 123
2.	जन सहयोग / लाभार्थी संगठन	निदेशक, जन सहयोग, कपार्ट मुख्यालय फोनः 011–24642395 / 115
3	अशक्तता प्रभाग	उप निदेशक, अशक्तता, कपार्ट मुख्यालय फोन : 011–24642395 / 114
4	विपणन प्रभाग	निदेशक, विपणन, कपार्ट मुख्यालय फोन : 011–24642395 / 120
5	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र अहमदाबाद	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्र** : महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दियु
6	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र भुवनेश्वर	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्रः** ओडिशा, प. बंगाल, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
7	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र चण्डीगढ़	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58

		फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्र** :हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब
8	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र, धारवाड़	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्र** : लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक, केरल, गोआ
9	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्र** : सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, माणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा मेघालय
10	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्रः** आंध्र–प्रदेश, पुडुचेरि, तमिलनाडु, मिनिकाय द्वीपसमूह
11	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्रः** राजस्थान, मध्य–प्रदेश
12	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्रः** उत्तर–प्रदेश, उत्तराखंड

13	नि:वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र, पटना	ऑफिस इंचार्ज, डी-58, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली-58 फोन :- 011-28524702/01, **कार्यक्षेत्रः** बिहार, झारखंड

v) सेवा ग्राहक (स्वैच्छिक संगठन) से सांकेतिक प्रत्याशाएं

क्र.स.	गतिविधि	अवधि	टिप्पणी
1.	अनुदान हेतु ओनलाइन आवेदन करना	लागू नही	ओनलाइन रसीद स्वतः मिलेगी
2	परियोजना प्रस्ताव की पठनीय प्रति अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना	ओनलाइन आवेदन मिलने से 10 दिन के अन्दर	यदि पठनीय प्रति 40 दिन में नहीं मिलती है तो प्रस्ताव स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।
3	प्रस्ताव पर कपार्ट द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण (यदि हो) देना	स्पष्टीकरण अनुरोध की प्राप्ति से 45 दिन	60 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा।
4	शर्तों और निबंधनों का पूरा दस्तावेज कपार्ट को भेजना	ओनलाइन पेश किये जाने के लिये 30 दिन तथा पठनीय प्रति पेश किये जाने के लिये 45 दिन	शर्तो व निबंधनों के 60 दिन के अन्दर न मिलने पर मंजूरी वापस ले ली जाएगी
5	शर्तों और निबंधनों पर कपार्ट द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण(यदि हों)	स्पष्टीकरण अनुरोध की प्राप्ति से 45 दिन के अन्दर	60 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया

	उपलब्ध करना		जाएगा
6	कपार्ट से प्राप्त भुगतानों (किश्तों) की पावती सूचित करना	भुगतान जारी होने से 30 दिन के अन्दर	–
7	प्रगति रिपोर्ट और राशि उपयोग प्रमाणपत्र का भेजा जाना	स्वैच्छिक संगठन द्वारा भुगतान प्राप्ति की तारीख से नियत तारीख तक, लेकिन 6 माह के बाद नहीं	अगर दिशा निर्देशों में नियम अवधि के अन्दर प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते तो स्वैच्छिक संगठन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए
8	कपार्ट के वित्त एवं लेखा प्रभाग की टिप्पणी (यदि कोई हो) पर स्पष्टीकरण देना	स्पष्टीकरण अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर	स्पष्टीकरण न दिये जाने पर, स्वैच्छिक संगठन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए
9	समापक प्रगति रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट तथा समेकित परीक्षित लेखे, प्रस्तुत करना	स्वैच्छिक संगठन द्वारा समापक भुगतान मिलने की तारीख से नियत तारीख तक	–

vi) घोषण पत्र के अगले पुनरीक्षण का वर्ष व माह इस घोषणपत्र के पुनरीक्षण की अगली तारीख अप्रैल 2012 होगी।